<u>टथ्न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)</u>

अपील संख्या : 67 / 2016 दायरा दिनांक : 09.02.2016

उनवान

बजरंगलाल, आयु 38 साल पुत्र श्री भैरू लाल, जाति माली, निवासी रावल जावल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री मदन लाल गालव

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 04.07.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 08.02.2016 प्रकरण संख्या 33 / 2016 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के प्रकरण सं0 3 / 2015 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.01.2016 से अपीलांट को ग्राम रावल–जावल, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 267 रकबा 0.60 हैक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 960 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.02.2016 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से बजरंग लाल द्वारा कथन किा कि दिनांक 20.01.2016 तक अतिक्रमण से अपना कब्जा हटा लूंगा तथा बकाया राशि जमा करवा दूंगा किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.01.2016 के अनुसार अतिक्रमी ने कब्जा नहीं हटाया, इससे जाहिर होता है कि अपीलांट अतिक्रमण करने का आदि है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने अपने बयान में बताया कि अपीलांट पश्चातवर्तीय अतिक्रमण की श्रेणी में आता है । अपीलांट ने सम्वत 2065 में भी उक्त भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 187/2009 निर्णय दिनांक 17.02.2009 से भूमि से बेदखल किया जा चुका था । लेकिन अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर लिया है जो पश्चातवर्तीय अतिक्रमण की श्रेणी में आता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2016 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा